

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

मूलचन्द बनाम श्रीया वगै०


किरम मुकदमा-दावा तकास्मा

मु०नं०-

144/2019

पीठासीन अधिकारी- डॉ० नवनीत कुमार (आर०ए०एस०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय विभाजन प्रस्ताव हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया है कि तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार एवं सही है जिनसे वादी पूर्णत सहमत है, इसलिए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंतिम डिक्री पारित की जावे। बहस वादी अधिवक्ता का मनन किया गया, पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस वादी अधिवक्ता एवं विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से तहसीलदार द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अत तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू०अ०/कैम्प/2023/17 दिनांक 02.05.2023 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बहरावण्डा विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**सिकराय जिला दौसा**